

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

Tel-(02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2023-24/3099

दिनांक :

17/7/2023

निमित्त :-

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

विषय-Diversion of 4.0144 ha forest land in favour of Municipal Council Jalore for construction of Road from Jalore city to Jalore fort (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village tehsil and District Jalore in State of Rajasthan.

प्रसंग:-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 01.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में बिन्दुवार निम्नानुसार निवेदन है:-

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु खसरा नम्बर 773/672 में अप्रूवल प्राप्त हुई है। यह खसरा 773/672 क्षेत्रफल 5.45 हैक्टर को मूल खसरा नम्बर 597/672 क्षेत्रफल 53.20 हैक्टर में से आवंटन कर बनाया है। आवंटन उपरान्त खसरा नम्बर 773/672 का क्षेत्रफल 5.45 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 597/672 का क्षेत्रफल 47.75 हैक्टर हो गया है।(मेरा खाता पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी संलग्न है खसरा नम्बर 597/672 की पुरानी जमाबन्दी नकल प्रति जिस पर आवंटन आदेश अंकित है संलग्न है।)

इस प्रकार खसरा नम्बर परिवर्तित नहीं हुआ है। बल्कि खसरा नम्बर 597/672, 53.20 हैक्टर में से खसरा नम्बर 773/672, 5.45 हैक्टर को तरमीम करते समय लोकेशन परिवर्तन हुआ है। अतः खसरा नम्बर 773/672 ही है।

नये तरमीम शुदा स्थान का क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता, अतिक्रमण मुक्त होने, विवाद रहित होने एवं समान क्षेत्रफल होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जो सर्वथा उचित है, यानि यह तरमीम शुदा खसरा नम्बर 773/672 का क्षेत्रफल 5.45 हैक्टर है, वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, विवाद एवं

अतिक्रमण मुक्त है। (क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर की रिपोर्ट पत्र संख्या 947 दिनांक 03.02.2023 से प्राप्त हुई जिसकी छायाप्रति कुल 4 पेंज संलग्न है।)

2. यूजर एजेसी का एफ.आर.ए प्रमाण पत्र, SDLC, DLC बैठक विवरण, इस कार्यालय का पत्र संख्या नपजा/सामान्य/2022-23/4553 दिनांक 26.07.2023 (शहरी क्षेत्र होने से) संलग्न प्रेषित है।
3. कार्यालय उप वन संरक्षक, जालोर के पत्रांक.....दिनांक.....से प्राप्त खसरा नम्बर 773/672, क्षेत्रफल 5.45 हैक्टर को रक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय
(दिलीप माथुर)
आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2023-24/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति. मुख्य सचिव (वन), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जालोर।
4. रक्षित प्रति।

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/07/2023 03:47:22 PM

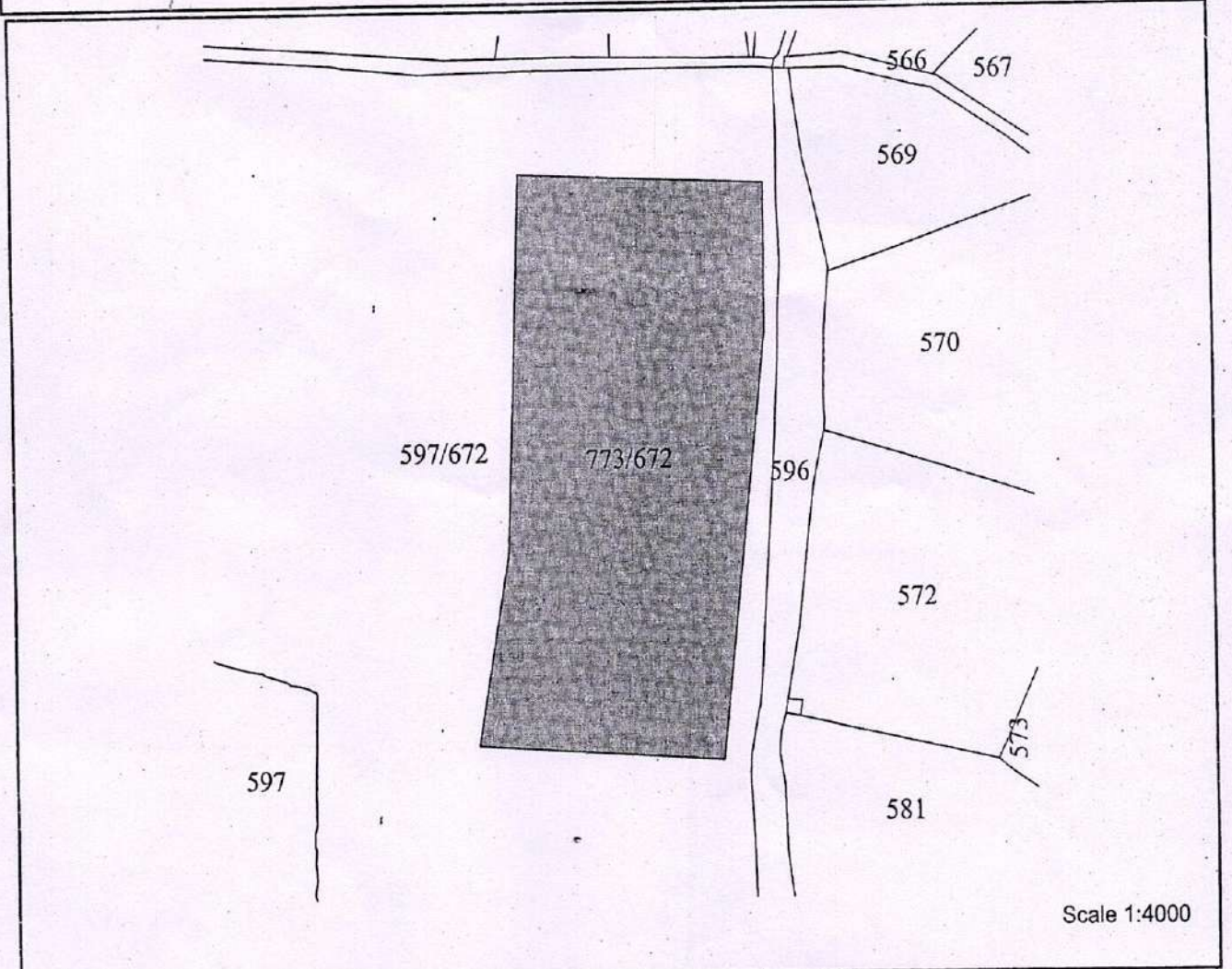
जिला : जालोर

तहसील : आहोर

भू. अ. नि. क्षेत्र : हरजी

पटवारी हल्का : चवरछा

ग्राम : छिपरवाड़ा



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 773/672 क्षेत्रफल : 5.4500 Hectare खाता संख्या : 330 पुराना खाता संख्या : 323

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : गै. मु. वन [5.4500]

1.) सरकारी जंगलात वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/07/2023 05:17:04 PM

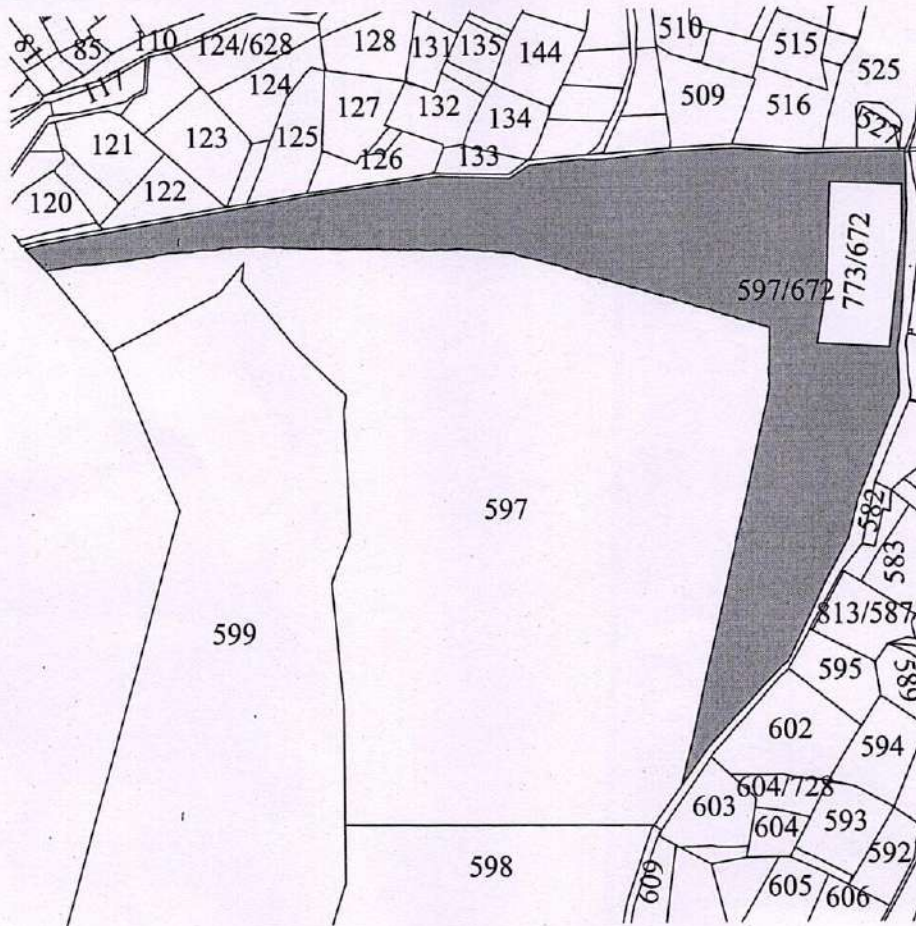
जिला : जालोर

तहसील : आहोर

भू. अ. नि. क्षेत्र : हरजी

पटवारी हल्का : चवरछा

ग्राम : छिपरवाड़ा



Scale 1:15000

खसरा संख्या : 597/672 क्षेत्रफल : 47.7500 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [47.7500]

राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

जाका - राजनवाडे

केवल नकल के उपयोग के लिए

पृष्ठ सं. १२६ (A)
(अंश १२)

[illegible][illegible]

(यादवेंद्र सिंह घुण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालौर

आयुषत
नगर परिषद, जालोर (राज.)

(राधयेन्द्र सिंह चूण्डावत)

राष्ट्रिय संरक्षक, जालौर

Scanned by CamScanner

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जालोर

क्रमांक : एफ () सर्वे / 2022-23 / 947

दिनांक : 03.02.23

निमित्त -

श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय
जालोर

विषय:-प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (Design chainage 0+000 Km to 5+176 Km) Village tehsil & Dist. Jalore in state Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) के संबंध में।

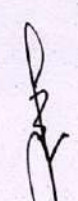
प्रसंग-आपके पत्रांक 508 दिनांक 03.02.2023 के क्रम में।

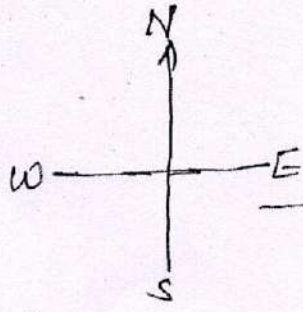
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आदेश की अनुपलना में नवीन CA क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि का मय स्टाफ के साथ मौका निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, अतिक्रमण से मुक्त है, विवादग्रस्त नहीं है। समान क्षेत्रफल है, भूमि पर ज्यूलिफलोरा जाल, बैर इत्यादि प्रजाति के पेड़ हैं एवं वन क्षेत्र छीपरवाडा के नजदीक है। मौका रिपोर्ट संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रस्तुत है।

संलग्न-मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा,
भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

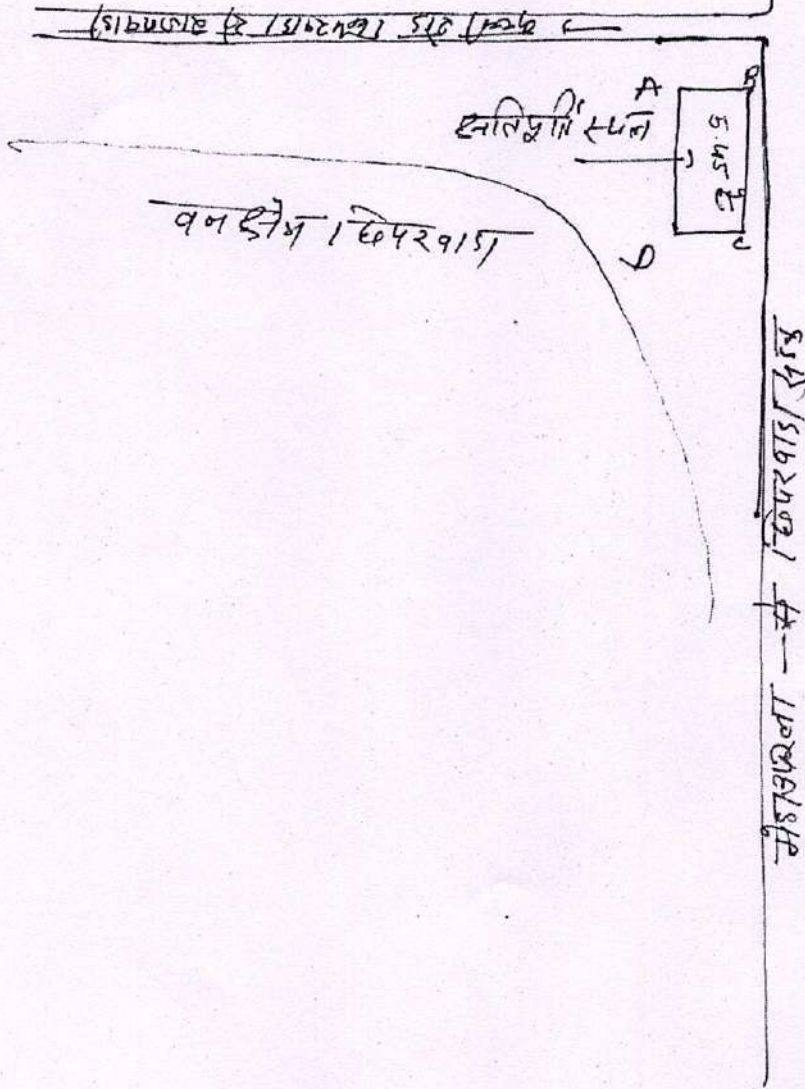

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर



मजरी नक्शा

साबरीगा 4/16

इसके पास फिस जंगल के साबरीगा



Done.
R. O. Talwar

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

मौका पंचनामा

आज दिनांक 03.02.23 को श्रीमान उप वन अधिकारी
जालौर आदेश क्रमांक 508 दिनांक 03.02.23 को अनुपालना
भारत सरकार पर्यावरण, वन अलवाधु परिवर्तन मंत्रालय, वन
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्र संख्या डबी/राज. 031/2022 GPR दिनांक
20 जून 2022 द्वारा प्रस्ताव संख्या (PP/RJ/2022/118453/2021) में
अनुपालना रिपोर्ट के साथ CA शिप्टार्नि वृक्षारोपण हेतु जो गैर
वन भूमि प्रस्तावित की गई थी। उक्त गैर वन भूमि का तस्वीर करके
के दौरान उसी खसरे में स्थान परिवर्तन के गया था उक्त
नवीन CA शिप्टार्नि वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वन भूमि का
मपस्थाप के साथ मौका निरीक्षण किया गया, उक्त भूमि
वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, अतिक्रमण से मुक्त है, विवाद -
ग्रस्त नहीं है, समान क्षेत्रफल है, भूमि पर ज्युलिफ्लोरा
जाल, गैर इत्यादि पुराने के पेड़ हैं एवं वन क्षेत्र की परवाह
के नजदीक है जिसका G.P.S Coordinate निम्नानुसार सही पाया गया
(A) $25^{\circ}18'33.633''$, $72^{\circ}46'33.019''$
(B) $25^{\circ}18'33.493''$, $72^{\circ}46'38.69''$
(C) $25^{\circ}18'22.066''$, $72^{\circ}46'37.403''$
(D) $25^{\circ}18'22.343''$, $72^{\circ}46'31.903''$

मौका रिपोर्ट बनाकर ~~श्रीमान जी~~ ~~उपस्थित~~ उपस्थित 221 फ
द्वारा सही पाया जाकर हस्ताक्षरित।

आ. 1.
20 Jalme

आयुक्त
नगर परिषद, जालौर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर
क्रमांक: एफ()एफसीए/2023/

दिनांक :

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal Council, Jalore is Construction of Road from Jalore City to Jalore fort (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil & Dist. Jalore in State of Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पूर्व में प्रस्तावित CA क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि के स्थान पर नवीन गैर वनभूमि प्रस्तावित की है। जिसका मौका निरीक्षण किया गया है, उक्त नवीन प्रस्तावित भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त, अतिक्रमण से मुक्त, विवादग्रस्त नहीं है तथा पूर्व में आवंटित भूमि के समान क्षेत्रफल की है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए उक्त भूमि केम्पा CA क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। जिसके जीपीएस निर्देशांक निम्न हैं:-

- (A) N-25° 18'33.633 E-72° 46'33.019
- (B) N-25° 18'33.493 E-72° 46'38.693
- (C) N-25° 18'22.066 E-72° 46'37.403
- (D) N-25° 18'22.343 E-72° 46'31.903

दिनांक:

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

FORM - I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JALORE

No. Rev/FRA/22/ 4237

Dated 29.07.2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF'S letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.0141 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Municipal Council for the proposed Construction of Road from jalore city to Jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176km) village, tehsil and district Jalore. State Rajasthan falls within jurisdiction of Jalore.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.0141 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s) Commissioner Nagar Parishad Jalore, Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Commissioner Nagar Parishad Jalore have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encls : As above.

(Nishant Jain)
District Collector,
Jalore

Date : 29.07.2022

No. Rev/FRA/22/ 4238-4239
Copy Forwarded to :

1. DCF, Jalore
2. Commissioner, Municipal Council, Jalore


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर

क्रमांक : राज/2022/ 4240

दिनांक : 29/7/22

बैठक कार्यवाही विवरण

आयुक्त, नगर परिषद, जालोर द्वारा प्रस्ताव सं. प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council jalore is construction of road from jalore city to jalore fort (Design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil&Dist. Jalore in state of Rajasthan (Area 4.0141) वन भूमि पर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तावित भूमि नगर परिषद, जालोर की पैराफेरी में स्थित है।

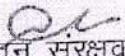
उक्त के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.07.2022 को सायं 4.00 बजे आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए -

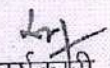
1. श्री निशान्त जैन
2. श्री संजय कुमार
3. श्री यादवेन्द्रसिंह

जिला कलेक्टर, जालोर (अध्यक्ष)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
उप वन संरक्षक, जालोर

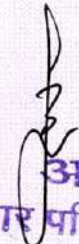
उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड, जालोर में दिनांक 28.07.2022 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया कि नगर परिषद, जालोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर वन उद्देश्य के लिए जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक के सड़क मार्ग का प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/118453/2021 कुल रकबा 4.0141 हैक्टर भूमि पर उपखण्ड स्तर पर वनाधिकार सम्बंधित कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है तथा न ही किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

तदनुसार जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक के सड़क मार्ग हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 रकबा 4.0141 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


उप वन संरक्षक,
जालोर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जालोर


जिला कलेक्टर,
जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

क्रमांक/राजस्व/22/ 955

दिनांक :- 28/07/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जालोर के पत्रांक/राज/2022/4123-26 दिनांक 26.07.2022 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक के सड़क मार्ग का प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal Council, Jalore is construction of Road from Jalore city to Jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village tehsil & district Jalore in rajasthan (area 4.0144 hec.) में प्रस्तावित सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत नगर परिषद जालोर में रिकॉर्ड के अनुसार कोई प्रकरण इस परिषद में विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 28.07.2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1. तहसीलदार, जालोर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालोर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर।
4. आयुक्त, नगर परिषद जालोर

नगर परिषद जालोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई। उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जैर वन उद्देश्य के लिये जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक के सड़क मार्ग का प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 कुल रकबा 4.0144 हैक्टर भूमि पर उपखण्ड स्तर पर वनाधिकार संबंधित कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है तथा न ही किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। अतः प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
जालोर
28/7/22

तहसीलदार
जालोर

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति जालोर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

आयुक्त,
नगर परिषद जालोर

उपखण्ड अधिकारी
जालोर

क्रमांक/राजस्व/22/ 956

दिनांक :- 28/07/2022

प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जालोर को मूल ही बैठक कार्यवाही विवरण मय उपस्थिति पत्रक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/.....4553

दिनांक: 25/7/2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
जालोर

विषय :- प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006(FRA) के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत

प्रसंग:- कार्यलय जिला कलेक्टर जालोर के पत्र क्रमांक/राज./2022/4122 दिनांक 26.07.2022 के संदर्भ में

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवम प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक के सड़क मार्ग का प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) में प्रस्तावित सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी (वनधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत नगर परिषद जालोर में रिकॉर्ड के अनुसार कोई प्रकरण इस परिषद में विचारधीन नहीं है।

अतः उक्त कार्य हेतु नगर परिषद जालोर को ऐतराज नहीं है।

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
दिनांक: 26/7/2022

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/.....4554-53-
प्रतिलिपि वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक, जालोर।
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
Hail

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 22, बुधवार, शके 1945-अप्रैल 12, 2023
Chaitra 22, Wednesday, Saka 1945- April 12, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 09, 2023

प्रपत्र 'M'

संख्या प. 2(22)वन/2022 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियाँ हैं या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार हैं या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रावहित है।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा रक्षित वन (protected Forest) के रूप

P. C. Attested.

011

उप वन संरक्षक
जालोर (राज.)

में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह नी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन (protected Forest) के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं. इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जायेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित दन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

1 अनुसूची (वन एवं बंजर भूमि)

II अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आय से,
शिखर अग्रवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि) एवं बंजर भूमि

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशा बार सीमा विवरण	विवरण			
						राजस्व ग्राम	खसरा नं	क्षेत्रफल (है.)	भूमि किस्म
1	छिपरवाड़ा	आहोर	जालोर	उत्तर-दक्षिण-पश्चिम-पूर्व-	खसरा संख्या 597/672 खसरा संख्या 597/672 खसरा संख्या 597/672 खसरा संख्या 597/672	छिपरवाड़ा	773/672	5.45	गै-मु-वन
Total-1								5.45	

पुराराम,
क्षेत्रीय वन अधिकारी f.c. *Attested*
जालोर

यादवेन्द्र सिंह चूड़ावत,
उप वन संरक्षक, जालोर

उप वन संरक्षक
जालोर (राज.)

द्वितीय अनुसूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामों की सूची

क.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Prosopis Juliflora	विलायती बबूल
2	Acacia Senegal	कुमठ
3	Prosopis cineraria	खेजड़ी
4	Acacia tortilis	इजरायली बबूल
5	Zizyphus Jujuba	बैर
6	Salvadora oleoides	जाल

पुराराम,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत,
उप वन संरक्षक, जालोर

प्रमाण-पत्र

वनखण्ड - छिपरवाडा

रेन्ज - जालोर

वनमण्डल - जालोर (राज.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण गै. मु. वन हैं। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज हैं तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य करवाया गया है। इनमें कोई अतिक्रमण या खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में वनखण्ड क्षेत्र में प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये गये हैं। इनमें खनन कार्य नहीं हुए हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में और भी विकास कार्य करवाये जाने की संभावना है।
4. इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों- प्रासोपिस ज्यूलीफलोरा अकेशिया टोर्टलिस, प्रोसोफिस सनरेरिया, जिजीफस जुजुवा, जाल, कुमठ की आंशिक छोटी झाड़िया हैं तथा जिनका घनत्व नगण्य है। वनखण्ड में स्थित प्रमुख प्रजातियों का घनत्व 0.1 से 0.5 है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम सं० 5 में कर दिया गया है।

उप वन संरक्षक
जालोर (राज.)

6. बनखण्ड के वांछित मानचित्र (नक्शा) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिशाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. उल्लेखित वनक्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे कि इस भूमि पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्ध हो सकें।
8. उक्त वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

पुराराम,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत,
उप वन संरक्षक, जालोर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

for Attested.

01,

उप वन संरक्षक
जालोर (राज.)

कायालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/.....

दिनांक:.....

निमित्त :- उप वन संरक्षक
जालोर

विषय :- प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) के सम्बन्ध में

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8बी/राज. 031/2022 JPR दिनांक 20 जून 2022 एवं श्रीमान शासन सचिव राजस्थान के पत्रांक प.1 55 वन/2022 जयपुर दिनांक 26.05.2022 के क्रम

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8 बी/राज.031/2022-JPR दिनांक 20 जून 2022 द्वारा प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में वन भूमि के प्रत्यार्जन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति 104 पेड़ों के पातन सहित प्रदान की गई हैं। अतः उक्त शर्तों की विन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of the forest land by the state forest Department

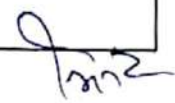
क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
A1	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent	अधिरोपित शर्त संख्या A1 स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है तथा प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा अधिरोपित 4350493.00 राशि वेबपोर्टल OSMFWP पर जमा कर आटीजीएस की प्रति संलग्न है संलग्न-1



(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

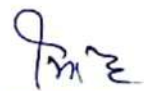
A2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.0144 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard	अधिरोपित शर्त संख्या A2 स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा वर्तमान NPV राशि वेबपोर्टल OSMFWP पर जमा कर आटीजीएस की प्रति संलग्न है संलग्न-2
A3	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A3 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
A4	The non-forest land which is transferred and mutated in f r of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section- 4 or Protected Forest under Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A4 नगर परिषद जालोर से सम्बंधित नहीं है।
A5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A5 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।


 आयुक्त
 नगर परिषद, जालोर

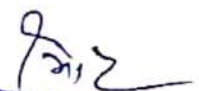
	User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
A6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A6 की पूर्ण अनुपालना हेतु नगर परिषद जालोर द्वारा FRA प्रमाण पत्र बाबत कार्यलय जिला कलेक्टर में आवेदन किया है प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित किये जाने हेतु अवगत कराया जायेगा।
A7	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A7 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
A8	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A8 नगर परिषद जालोर से सम्बंधित नहीं है।
A9	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A9 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।

B: Conditions which needs to be strictly complied on files after handing over of forest land to be the user agency by the state Forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to final/stage-II approval :

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
B1	Legal status of the forest land shall remain uncharged	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B1 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B2	Forest land will be handed over to the user agency only after required non-forest land	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B2 अनुसार स्वीकार


आयुक्त
 नगर परिषद, जालोर

	for the project is handed over to the user agency	होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B3	Compensatory forestation shall be taken up by the forest department over 4.0144 ha. (out of 5.45 ha.) non forest land at village chipewada, tehsil- jalore range – jalore, district-jalore,rajasthan at the cost of the user agency as far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and mono culture of any species may be avoided	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B3 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B4	User agency shall restrict the felling of trees to 104 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be filling under the strict supervision on the state forest department and cost of filling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B4 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B5	User agency shall translocation trees below 60 cm girth of species which suitable for translocation	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B5 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B6	The user agency shall raise strip plantation on the both side of the road as per the IRC norms	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B6 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B7	Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the protected area/forest area	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B7 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B8	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B8 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B9	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central government	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B9 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B10	No labor camp shall be established on the forest land	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B10 अनुसार स्वीकार


आयुक्त
 नगर परिषद, जालौर

		होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B11	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the user agency to the laborer after purchasing the same from the state forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate fuel	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B11 अनुसार ईंधन की व्यवस्था पृथक से की जायेगी एवं स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B12	The boundary of the diverted forest land shall be suitable demarcated on ground at the project cost as per the direction of the concerned divisional forest officer	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B12 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B13	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B13 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or the project life whichever less	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B14 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B15	The forest land shall not be used for any purposed other then that specified in the project proposal	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B15 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B16	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be transferred to any other agencies department or person without prior approval of govt. of india	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B16 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B17	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated condition to the state government and integrated regional office jaipur by the end of march every year	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B17 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B18	The user agency shall comply with all the provision of the all acts.rules regulations guideline,hon'ble court order (s) and NGT order (s) pertaining to this project, if any for the time being in forest as applicable to the project	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B18 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।


 आयुक्त
 नगर परिषद, जालोर

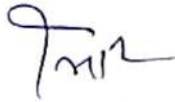
B19	Violation of any of these condition will amount to violation of forest (conservation) act.1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. no 11-42/2017-FC date 29/01/2018	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B19 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B20	Any other condition that the ministry of Environment forests & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B20 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
B21	The compliance report shall be upload one-portal (https://parivesh.nic.in)	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B21 अनुसार स्वीकार होने का वचनवद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।

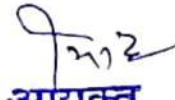
क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/433-04

प्रतिलिपि वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)/क्षेत्रीय अधिकारी जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
3. रक्षित पत्रावली

(यादवेन्द्र सिंह धूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर आयुक्त, जालोर
नगर परिषद, जालोर
दिनांक: 22.5.21 2022


आयुक्त
नगर आयुक्त, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -1

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या-A1 The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

जवाब — अधिरोपित शर्त संख्या A1 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है तथा प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा अधिरोपित 4350493.00 राशि वेबपोर्टल OSMFWP पर जमा कर, आरटीजीएस की प्रति संलग्न है। संलग्न-1

(यादवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगराधिकारी, जालोर
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय नगरपरिषद् जालोर (राज.)

कमांक: नपजा/लेखा/2022/.....५१०९.....

दिनांक 15/7/2022

:: स्वीकृति आदेश ::

यतः भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति कमांक: 8वी/राज.031/2022 जेपीआर दिनांक 20.6.2022 एवं श्रीमान् शासन सचिव राज. के पत्रांक: प.1 (55)वन/2022 जयपुर दिनांक 26.5.2022 के क्रम में कार्यालय उप वन संरक्षक जालोर के पत्रांक: एफ.()एफसीए(एनओसी)/उवस/2020-21/2840 दिनांक 24.6.2022 के द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 में नगरपरिषद् जालोर क्षेत्र में "construction of Road from Jalore City to Jalore Fort" (Design chainage 0+000km to 5+176 km) के निर्माण कार्य के लिए वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु 10 वर्षों तक राशि रु. 16,60,283.00 एवं प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.0144 हैक्टर की वर्तमान दर NPV दर 670140/- प्रति हैक्टर से 26,90,210.02 कुल रु. 43,50,493.02 रु. वेब पोर्टल OSMFWP में एवं आवेदित क्षेत्र में खड़ी वन सम्पदा कुल 104 पेड़ों के विदोहन की कुल मुआवजा राशि रु. 89,738.28 (उन्यासी हजार सात सौ अड़तीस रु. छब्बीस पैसे मात्र) उप वन संरक्षक जालोर को भिजवायी जानी हैं। अतः उपरोक्तानुसार कुल राशि रु. 44,40,231.28 अक्षरे चुमालिस, लाख चालीस हजार दो सौ इकत्तीस रु. अट्ठाइस रु. मात्र परिषद् के सामान्य मद से उपरोक्त संयधित विभागों के मदों में जमा कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती हैं-

(गोविन्द टाक)
सभापति
नगरपरिषद् जालोर

(महिपालसिंह)
आयुक्त
नगरपरिषद् जालोर

दिनांक.....

कमांक: नपजा/लेखा/2022/.....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर
2. श्रीमान् सभापति महोदय नगरपरिषद् जालोर
3. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
4. श्रीमान् उप वन संरक्षक, जालोर
5. अधिशाषी अभियन्ता नगरपरिषद् जालोर।

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगरपरिषद् जालोर

आयुक्त
नगरपरिषद् जालोर

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-07-2022

Agency Name.	MUNICIPAL COUNCIL JALORE
Application No.	61118453984
MoEF/SG File No.	8B/RAJ031/2022-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	Hospital Chauraha Jalore
Amount(in Rs)	4350493/-

Amount In Words :Forty-Three Lakh Fifty Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561118453984 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-07-2022

Agency Name.	MUNICIPAL COUNCIL JALORE
Application No.	61118453984
MoEF/SG File No.	8B/RAJ031/2022-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	Hospital Chauraha Jalore
Amount(in Rs)	4350493/-

Amount In Words :Forty-Three Lakh Fifty Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508561118453984 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

सभापति
नगर परिषद जालोर

(यादवेंद्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

Rm6BM 22201505413



आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

IFSC - UBI00998335

राजस्थान मरुधरा नगरपालिका (राज.)

BENEFICIARY DETAIL

20 JUL 2022

Beneficiary's Name : CAMPALASTHAN

Beneficiary A/c No. : 1508561118453984

RTGS/NEFT/IMPS Amount : 43,50,493/-

Commission :

Total Amount : 43,50,493/-

Applicant A/C No. : 11121017201

UTR No./RRN :

Date : RMGSH2 2201505413

CH. NO. 052329/20.07.2022

(यादवेन्द्र सिंह चूणडावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर पालिका, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -2

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - A2 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.0144 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard

जवाब — अधिरोपित शर्त संख्या A2 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है
प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा वर्तमान NPV राशि को जमा हुए राशि वेबपोर्टल
OSMFWP पर जमा कर आरटीजीएस की प्रति संलग्न है। संलग्न-2

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -3

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - A3 The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A3 अनुसार स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-3

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

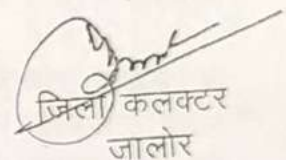

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक/एफ 12(3)(9) सार्व./राजस्व/13/5097
आदेश

दिनांक : 3/5/13

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक/ प.6 (139) राज/ग्रुप-3/13 दिनांक 24-4-13 के अनुसरण में मौजा छीपरवाडा तह0 आहोर के ख0न0 597/672 रकबा 53.20 है0 किस्म गै0मु0 बा0सो0 में से रकबा 5.45 है0 भूमि की किस्म खारिज, कर झरणेश्वर प्रवेश द्वार से जालोर दुर्ग तक पक्की सड़क बनाने के उपयोग में आने वाले वन क्षेत्र की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत उप वन संरक्षक जालोर को निःशुल्क आवंटन किया जाता है। जिसका नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।


जिला कलेक्टर
जालोर

दिनांक 3/5/13

क्रमांक/सम/ 5098-5603
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, आहोर
3. उप वन संरक्षक जालोर
4. तहसीलदार, आहोर
5. पटवारी हल्का छीपरवाडा तह.आहोर
6. गार्ड पत्रावली


कृते जिला कलेक्टर
जालोर

[illegible]

Scanned by CamScanner


 (प्रतिभा सिंह)
 पटवारी (मुख्य)
 जह... १५१६६
 आधा

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)



Tel.-(02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/...9185

दिनांक: 03/02/2023

निमित्त :- उप वन संरक्षक
जालोर

विषय :- प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453/2021 में Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.) के सम्बन्ध में

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8बी/राज. 031/2022 JPR दिनांक 20 जून 2022 एवं श्रीमान शासन सचिव राजस्थान के पत्रांक प.1 55 वन/2022 जयपुर दिनांक 26.05.2022 के क्रम

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8 बी/राज.031/2022-JPR दिनांक 20 जून 2022 द्वारा प्रस्ताव संख्या PF/RJ/ROAD/118453 /2021 के समय CA हेतु जो भूमि प्रस्तावित की गई थी का तस्मीम करते समय उसी खसरे में स्थान परिवर्तन हो गया। अतः जो नवीन भूमि CA हेतु प्रस्तावित है। क्षेत्रफल में बराबर है, मौके पर अतिक्रमण से मुक्त है, विवादग्रस्त नहीं है एवं सम्पर्क सड़क से जुड़ी है।


आयुक्त

नगर परिषद, जालोर

दिनांक:.....

क्रमांक: नपजा/सामान्य/2022-23/.....

प्रतिलिपि वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)/क्षेत्रीय अधिकारी जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
3. रक्षित पत्रावली

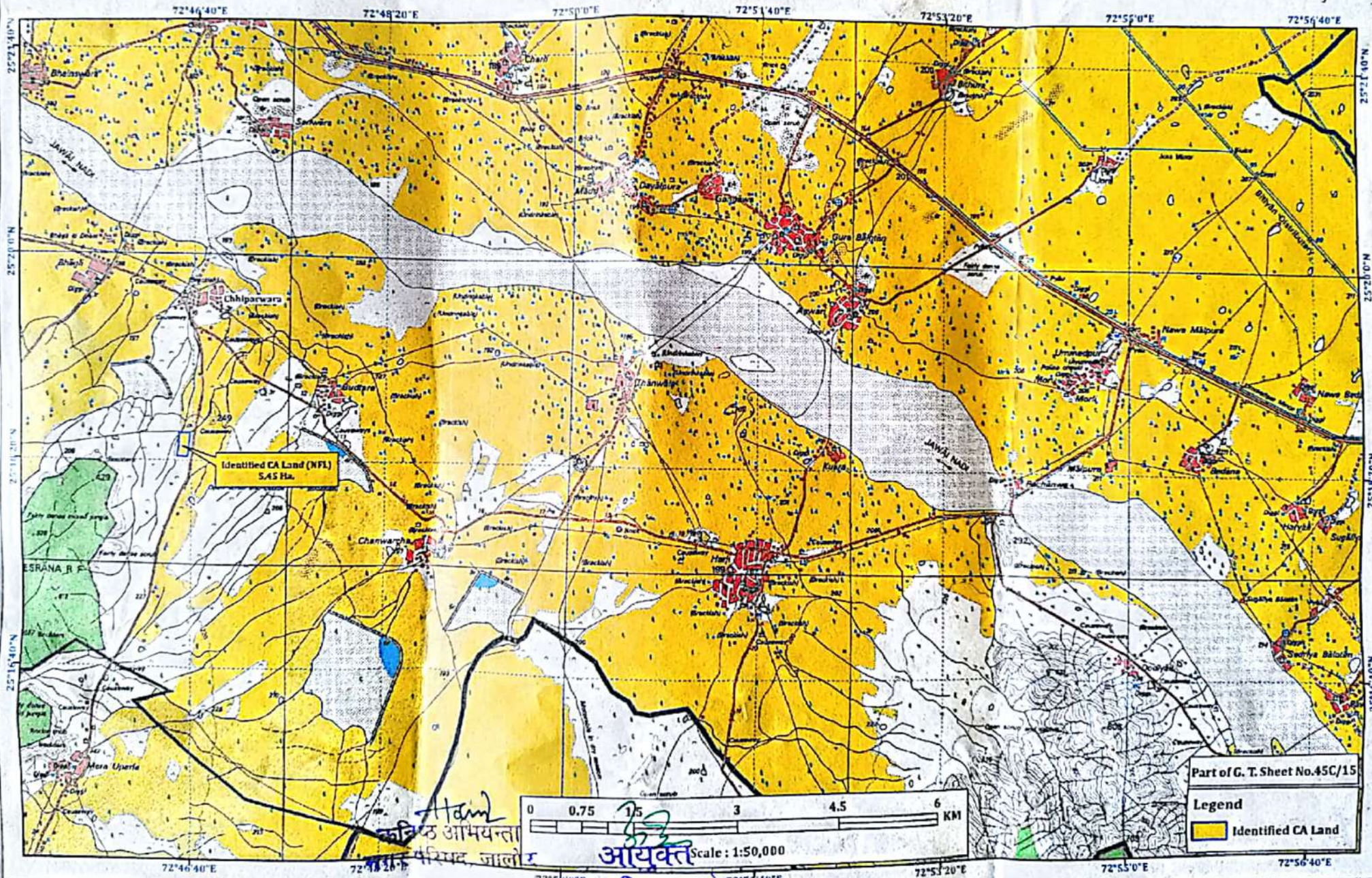
आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF IDENTIFIED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND (NFL)

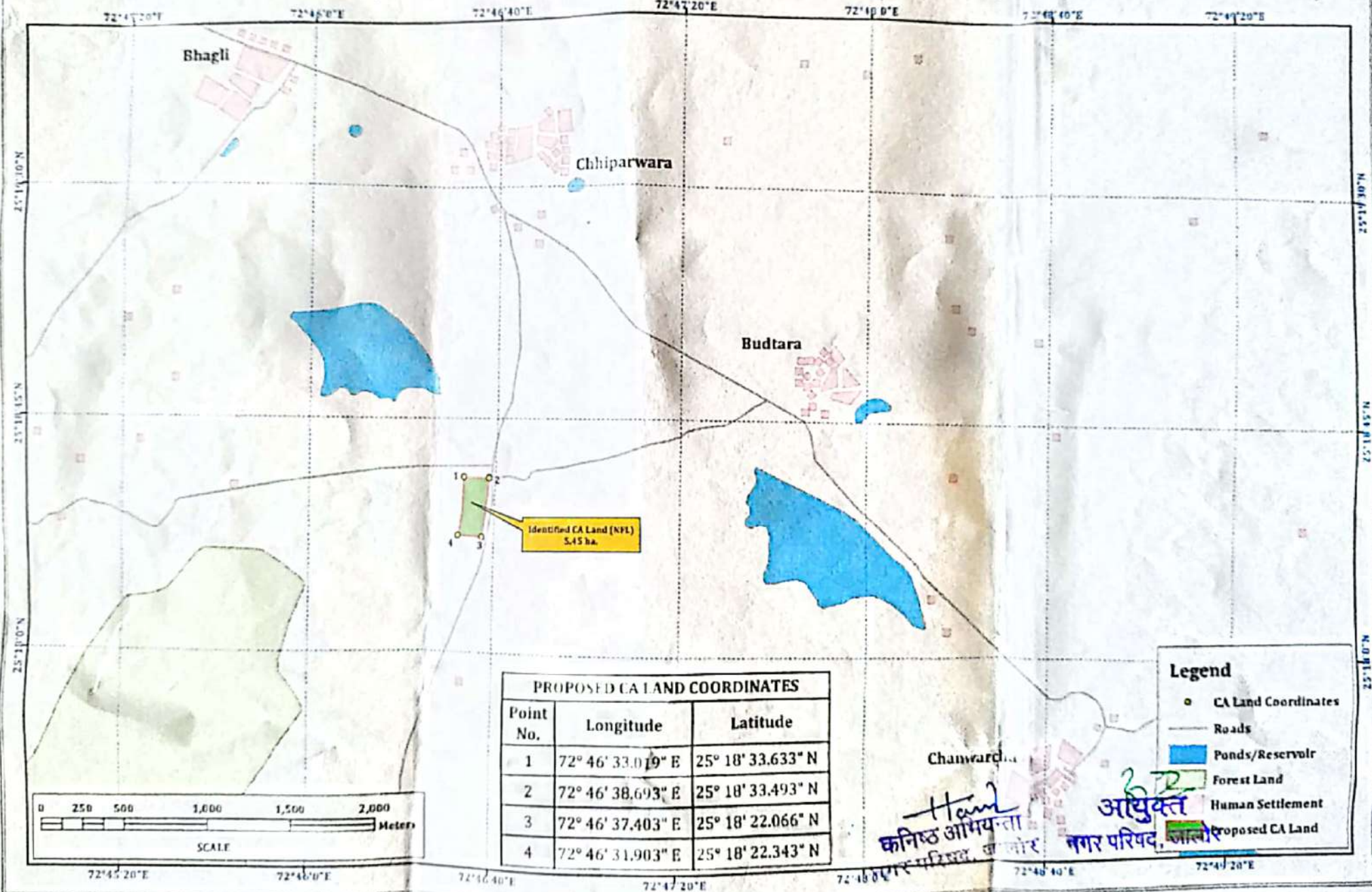
Project Name : Diversion of 5.45 hectare Forest land for Construction of Road from Jalore City to Jalore Fort

(Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil and District- Jalore in State of Rajasthan.

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/118453/2021, Forest land Proposed for Diversion : 5.45 ha.



MAP SHOWING DIGITAL MAP OF IDENTIFIED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATE (NFL)
 Project Name : Diversion of 5.45 hectare Forest land for Construction of Road from Jalore City to Jalore Fort
 (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil and District- Jalore In State of Rajasthan.
 Proposal No. : FP/RJ/ROAD/118453/2021, Forest land Proposed for Diversion : 5.45 ha.



कार्यालय उप वन संरक्षक, जालोर

क्रमांक / सर्वे / उवसं / 2022-23 / 3926

दिनांक 29/07/2022

निमित्त-

उप वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन वन्दोवस्त,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किला पहाड़ी जालोर पर प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य के एवज में प्राप्त भूमि खसरा नं. 773/672 रकबा 5.45 हैक्टर राजस्व ग्राम छिपरवाडा तहसील आहोर जिला जालोर की प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर 04 प्रतियों में मय सी.डी. अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न :- प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव सेट-04 मय सी.डी.।

भवदीय


 (यादवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
 उप वन संरक्षक,
 जालोर

क्रमांक / सम / 3927-28

दिनांक 29/07/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है :-

1. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर।

संलग्न :- प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव एक-एक सेट।


 (यादवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
 उप वन संरक्षक, जालोर


 उप वन संरक्षक,
 जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

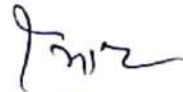
वचनबद्धता पत्र -4

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या — A5 Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

जवाब — सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A5 अनुसार स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-4

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर अधिकारी, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

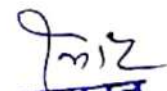
वचनबद्धता पत्र -5

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या — A6 The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector

जवाब — सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A6 अनुसार FRA 2006 की पूर्ण अनुपालना हेतु वचनबद्ध रहेंगे। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-5

(यादवेन्द्र सिंह घूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगरपालिका, जालोर
नगर परिषद, जालोर

FORM - I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JALORE

No. Rev/FRA/22/ 4237

Dated 29.07.2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF'S letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.0141 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Municipal Council for the proposed Construction of Road from jalore city to Jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176km) village, tehsil and district Jalore. State Rajasthan falls within jurisdiction of Jalore.

It is further certified that :

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.0141 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s) Commissioner Nagar Parishad Jalore, Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Commissioner Nagar Parishad Jalore have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encls : As above.

(Nishant Jain)
District Collector,
Jalore

Date : 29.07.2022

No. Rev/FRA/22/ 4238 - 4239
Copy Forwarded to :

1. DCF, Jalore
2. Commissioner, Municipal Council, Jalore

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

(Signature)
अध्यक्ष
नगर परिषद, जालोर (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -6

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - A7 The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 7 अनुसार स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-6

(यादवेन्द्र सिंह चूडावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

7/12
आयुक्त
नगर आयुक्त जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

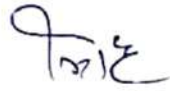
वचनबद्धता पत्र -7

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - A9 All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या A9 अनुसार सभी निधिया ई-पोर्टल पर जमा करवा दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
संलग्न-7

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -8

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B1 Legal status of the forest land shall remain uncharged

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B1 अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा वन भूमि की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे। संलग्न-8

फि। ८
आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -9

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B2 Forest land will be handed over to the user agency only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B2 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-9

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

9/12
आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -10

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B3 Compensatory forestation shall be taken up by the forest department over 4.0144 ha. (out of 5.45 ha.) non forest land at village chipewada, tehsil- jalore range -jalore, district jalore, rajasthan at the cost of the user agency as far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and mono culture of any species may be avoided

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B2 अनुसार नगर परिषद जालोर से सम्बन्धित नहीं है। सलग्न-10

7/12
आयुक्त
नगर आयुक्त जालोर
नगर परिषद. जालोर

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -11

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B4 User agency shall restrict the felling of trees to 104 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be filling under the strict supervision on the state forest department and cost of filling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B4 अनुसार आवेदित क्षेत्र में खड़ी वन सम्पदा कुल 104 पेड़ों विदोहन की मुआवजा राशि नगर परिषद जालोर द्वारा उप वन संरक्षक के नाम से वन विभाग, जालोर में जमा करवा दिया गया है। एवम बैंक चालान की फोटो कोपी संलग्न है। संलग्न-11

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

कार्यालय नगरपरिषद जालोर (राज.)

क्रमांक: नपजा/लेखा/2022/.....

दिनांक.....

श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,
वन विभाग, जालोर

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/118453/2021 में नगरपरिषद जालोर क्षेत्र में "construction of Road from Jalore City to Jalore Fort" (Design chainage 0+000km to 5+176 km) के निर्माण कार्य के लिए वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु एवं खड़ी वन सम्पदा कुल 104 पेड़ों के विदोहन की कुल मुआवजा राशि जमा कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक: एफ.()एफसीए(एनओसी)/उवस/20-21/2840 दि 24.6.22 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक: 8वीं/राज.031/2022 जेपीआर दिनांक 20.6.2022 एवं श्रीमान् शासन सचिव राज. के पत्रांक: प.1 (55)वन/2022 जयपुर दिनांक 26.5.2022 के अनुसार प्रासंगिक पत्र के कम में नगरपरिषद जालोर द्वारा नगरपरिषद जालोर क्षेत्र में "construction of Road from Jalore City to Jalore Fort" (Design chainage 0+000km to 5+176 km) के निर्माण कार्य के लिए वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु 10 वर्षों तक राशि रु. 16,60,283.00 एवं प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.0144 हैक्टर की वर्तमान दर NPV दर 670140/- प्रति हैक्टर से 26,90,210.02 कुल रु. 43,50,493.02 रु. वेब पोर्टल OSMFWP में जरिये चालान नंबर 14 दिनांक 20.7.2022 के द्वारा Rajasthan campa , IFSC code UBIN0996335 , Account no. 1508561118453984 , Union Bank of India में जमा करवायी जा चुकी है जिसकी चालान की प्रति संलग्न भिजवायी जा रही है साथ ही खड़ी वन सम्पदा कुल 104 पेड़ों के विदोहन की कुल मुआवजा राशि रु. 89,738.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर 373315 दिनांक 20.7.2022 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक का जारी कर संलग्न भिजवाया जा रहा है।

अतः ड्राफ्ट प्राप्त कर प्राप्ति रसीद भिजवाने का श्रम करावें एवं उपरोक्त प्रसंगवर्णित अग्रिम कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

संलग्न-
चालान प्रति, ड्राफ्ट

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

(महिपालसिंह)
आयुक्त

नगरपरिषद जालोर

दिनांक 20/7/2022

क्रमांक: नपजा/लेखा/2022/..... 4375

प्रतिलिपि -

✓ 1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

आयुक्त
नगरपरिषद जालोर
DesktopSanctions



राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)

मुख्य शाखा-जोधपुर (306), जिला जोधपुर - 342 003 (राजस्थान)

Main Branch-Jodhpur (306), Dist. Jodhpur - 342 003 (Raj.)

Tel No. 0291-2432854

IFSC: RMGB0000306

INTER OFFICE INSTRUMENT
(DRAFT / BANKER'S / MANAGER'S CHEQUE / PAY ORDER)

20072022

DDMMYY

(Valid for 3 months / तीन माह के लिए वैध)

मांगे जाने पर

On Demand Pay

DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST

या उनके आदेश पर Or Order

रुपये

Ruppes

EIGHTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED

THIRTY EIGHT ONLY /-

₹

89738/-

NAGAR PARTI SAG TALORE

प्राप्त मूल्य के लिये अदा करें / FOR VALUE RECEIVED

प्रेता का नाम / Name of the Purchaser

Payable at par at all Branches of RMGB

प्रतिहस्ताक्षरित / COUNTER SIGNED
S.S. No. 6133

प्राधिकृत हस्ताक्षरित / AUTHORISED SIGNATORY
S.S. No. 6094

373345 3423480021

16

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -12

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B5 User agency shall translocation trees below 60 cm girth of species which suitable for translocation

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B5 नगर परिषद जालोर द्वारा प्रस्तावित कार्य के दौरान कार्यस्थल पर 60 सेमी परिधि के नीचे के वृक्षों का स्थानान्तरण किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है।
सलग्न-12

(यादवेन्द्र सिंह चूडावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

मि. 2
आयुक्त
नगर अधिकारी जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

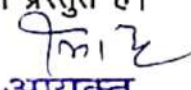
E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -13

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B6 The user agency shall raise strip plantation on the both side of the road as per the IRC norms

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B6 अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा आई.आर.सी.मापदंडों के अनुसार सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
संलग्न-13


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर


(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

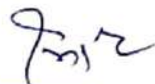
वचनबद्धता पत्र -14

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B7 Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the protected area/forest area

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B7 अनुसार यूजर एजेंसी द्वारा संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियमन साइनेज लगाये जायेगे! इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है। सलग्न-14

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -15

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B8 No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B8 अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है। सलग्न-15

(यादवेन्द्र सिंह यूगलवत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर आयुक्त जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -16

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या -- B9 The layout plan of the proposal shall not be charged without prior approval of central government

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B9 अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है। सलग्न-16

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -17

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या- B10 No labor camp shall be established on the forest land

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B10 अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा वन भूमि में किसी प्रकार का श्रमिक शिविर का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-17

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -18

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B11 Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the user agency to the laborer after purchasing the same from the state forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate fuel

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B11 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-18

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर अधिकारी जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -19

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B12 The boundary of the diverted forest land shall be suitable demarcated on ground at the project cost as per the direction of the concerned divisional forest officer

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B12 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-19

(यादवेन्द्र सिंह घुण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -20

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B13 No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B13 अनुसार यूजर एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य में निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त/नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है। सलग्न-20

(यादवेन्द्र सिंह वृष्ठावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर अधिकारी जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -21

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B14 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or the project life whichever less

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें संख्या B14 स्वीकार होने का वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-21

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

7/12
आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -22

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B15 The forest land shall not be used for any purposed other then that specified in the project proposal

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B15 अनुसार यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव अनुसार किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता पत्र सलग्न प्रस्तुत है। सलग्न-22

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगरअधिकारी जालोर
नगर परिषद. जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -23

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B16 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be transferred to any other agencies department or person without prior approval of govt. of india

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B16 अनुसार यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि किसी परिस्थिति में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-23

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -24

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B17 The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated condition to the state government and integrated regional office jaipur by the end of march every year

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B17 अनुसार यूजर एजेंसी द्वारा वार्षिक स्व अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक प्रस्तुत करने हेतु पाबद्ध रहेगे। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-24

(यादवेन्द्र सिंह घूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -25

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B18 The user agency shall comply with all the provision of the all acts.rules regulations guideline, hon'ble court order (s) and NGT order (s) pertaining to this project, if any for the time being in forest as applicable to the project

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B18 अनुसार यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों के सभी प्रावधानों की अनुपालना हेतु वचनबद्ध रहेगे। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है।
संलग्न-25

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगरपालिका, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -26

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B19 Violation of any of these condition will amount to violation of forest (conservation) act.1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. no 11-42/2017-FC date 29/01/2018

जवाब - अधिरोपित शर्त संख्या B19 की अनुपालना हेतु वचनबद्ध रहेगे। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-26

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

आयुक्त
नगर आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -27

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B20 Any other condition that the ministry of Environment forests & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या B20 अनुसार यूजर एजेन्सी द्वारा पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर वन और वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के हितों में कोई अन्य शर्त का निर्धारण करने पर अनुपालना के लिए वचनबद्ध रहेंगे। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-27

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर

क्रि. 2
आयुक्त
नगर आयुक्त जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -28

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

शर्त संख्या - B21 The compliance report shall be upload one-portal
(<https://parivesh.nic.in>)

जवाब - सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 21 अनुसार यूजर ऐजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट (<https://parivesh.nic.in>) वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता पत्र संलग्न प्रस्तुत है। संलग्न-28

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर आयुक्त, जालोर
नगर परिषद, जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)
(अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड, जालोर-343001)



Tel.- (02973) 222270

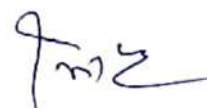
E-mail : mbjalore24@yahoo.in

वचनबद्धता पत्र -29

NAME OF PROJECT :- Municipal council, jalore is construction of Road from jalore city to jalore fort (design chainage 0+000 km to 5+176 km) village, Tehsil & district jalore in Rajasthan (Area 4.0144 Hec.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र क्रमांक: एफ. 14(462/40)2021/एफसीए/प्रमुखसं/2136-2137 दिनांक 22.06.2022 के अनुसार नगर परिषद जालोर द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दि. 21.07.2022 को दो दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व First India News (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कर समाचार पत्रों की प्रति पालना रिपोर्ट के साथ भिजवायी जा रही है।

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक, जालोर


आयुक्त
नगर पञ्चिका जालोर
नगर परिषद, जालोर



प्लॉट नं. 218 & बी 216 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
प्लॉट नं. B-216, 'ARANYA BHAWAN', Jhalana Institutional Area Jaipur-302004
दूरभाष / Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email:- iro.jaipur-mefcc@gov.in

संख्या: 8बी/राज 031/2022-JPR

दिनांक: 20th June, 2022

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/118453/2021)

विषय: Diversion of 4.0144 ha forest land in favour of Municipal Council Jalore for construction of Road from Jalore City to Jalore Fort (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil and District- Jalore in State of Rajasthan.

संदर्भ:- शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(55)वन/2022, जयपुर, दिनांक: 26.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रशंगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयकित परियोजना हेतु 4.0144 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 104 वृक्षों के पातन सैदान्तिक स्वीकृति (In-Principal/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

01. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
02. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.0144 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard.
03. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.
04. The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section- 4 or Protected Forest under Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.
05. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
06. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
07. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
08. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
09. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-

II approval:

01. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
02. Forest land will be handed over to the User Agency on the condition that the project is handed over to the User Agency.
03. Compensatory afforestation shall be taken up by the 4.0144 ha (out of 5.45 ha) non-forest land at Village- C Range- Jalore, District- Jalore, Rajasthan at the cost of possible, a mixture of local indigenous species shall be of any species may be avoided.
04. User agency shall restrict the felling of trees to 104 tree- diverted forest land and the trees shall be felled under State Forest Department and cost of felling of trees shall be Agency with the State Forest Department.
05. User Agency shall trans locate trees below 60 cm girth for translocation.
06. The User Agency shall raise strip plantation on both sides of IRC norms.
07. Speed regulating signage will be erected along the road in Protected Areas/ Forest Areas.
08. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
09. The layout plan of the proposal shall not be changed without the approval of Central Government.
10. No labour camp shall be established on the forest land.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be supplied to the labourer after purchasing the same from the Forest Department or the Forest Development Corporation or any alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitable to the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed in the area of transportation of construction materials for execution of the project.
14. The period of diversion under this approval shall be conditional and shall be granted in favour of the user agency or the State Government.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than the project proposal.
16. The forest land proposed to be diverted shall not be transferred to any other agencies, department or person without the approval of Govt. of India.
17. The User Agency shall submit the annual self compliance report on the above stated conditions to the State Government and District Collector, Jaipur by the end of March every year.
18. The User Agency shall comply with all the provisions of the Forest Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and orders issued to this project, if any, for the time being in force, as applicable.
19. Violation of any of these conditions will amount to breach of the (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the provisions of the Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
20. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation and development of forests & wildlife.
21. The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://www.mefcc.gov.in) after receipt of compliance report on fulfillment of the above conditions from the State Government, proposal for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest Act, 1927. The User Agency shall take up the work as per the guidelines ensuring that all necessary clearances for the entire project shall be obtained, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. No work shall not be effected till Final/Stage-II approval is received from the Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of the In-principle approval. In case of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

(सहायक सचिव, वन)

उप वन संरक्षक, जालोर

उप

अध्यक्ष
नगर परिषद, जालोर (राज.)



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 & बी 216 'अरण्य भवन' झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 / A-218 & B-216,
"ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area Jaipur-302004
दूरभाष / Tel No: 0141-2713858.2713786 Email: iro.jaipur-mefcc(ii)gov.in

दिनांक : 20th June, 2022

पत्र संख्या - 8वी/राज 031/2022-JPR

सेवा में,

शासन सचिव (वन)

सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,

जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/118453/2021)

विषय: Diversion of 4.0144 ha forest land in favour of Municipal Council Jalore for construction of Road from Jalore City to Jalore Fort (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil and District- Jalore in State of Rajasthan.

संदर्भ :- शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(55)वन/2022, जयपुर, दिनांक: 26.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षाणापरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयकित परियोजना हेतु 4.0144 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 104 वृक्षों के पातन सैदान्तिक स्वीकृति (In-Principal/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.0144 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.
3. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.
4. The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section- 4 or Protected Forest under Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
7. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
8. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
9. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

investigators

ANGRY ON NUPUR

Rizwan Ashraf told the investigators that he was very angry after Nupur Sharma's controversial statement on Prophet Mohammad and wanted to kill her. Sri Ganganagar SP Anand Sharma said that Rizwan did not know which post in India he would reach at the border or where Nupur Sharma lives. Despite this, he decided to come to India.

with ₹5K per work

S RECORD 267 NTHS OF 2022

ption Bureau (ACB). It has been on the radar of cases. The ACB has action in first 6 months have been filed in which including 9 cases of and 6 cases of misuse same period in 2020, filed and 236 cases in I. ACB's helpline 1064 number 9413502834 for the people to fear- e ACB.

—Navin Sharma

raided the spot and nabbed him red handed. Moreover, a search was initiated at Soni's house at Pal road as well," the ASP said.